पत्रांक 407/10/2015- ए.वी.डी.-IV(बी.)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।

दिनांक: 16 मार्च, 2016

सेवा मे,

1. संचालक,
   अन्ना समर्थक गांधीवादी संघ |
   (ई-मेल annasamarthak.org@gmail.com)

2. अन्ना समर्थक गांधीवादी संघ के बैनर तले ज्ञापन देने वाले समस्त प्रार्थी गण,
   (इस विभाग की वेब साइट के माध्यम से)

विषय: **लोकपाल एवं लोकयुक्त अधिनियम, 2013 को लागू करने के संबंध मे ।**

महोदय,

कृपया अन्ना समर्थक गांधीवादी संघ के बैनर तले दिनांक 30.01.2016 को उपरोक्त विषय से संबन्धित बड़ी संख्या मे प्रेषित किए गए ज्ञापनों, जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी को संबोधित हैं, का संदर्भ ग्रहण करें।

2. इस संबंध मे मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भ्रष्टाचार से संबन्धित मामलों मे त्वरित एवं निष्पक्ष जांच तथा अभियोजन हेतु भारत सरकार द्वारा लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम, 2013 पारित किया गया था जिसके प्रावधान दिनांक 16.01.2014 से प्रभावी हो गए है | तथापि ऐसी स्थितियों, जब लोक सभा मे किसी को भी नेता प्रतिपक्ष के रूप मे मान्यता न दिये जाने इत्यादि वजहों से चयन समिति अधूरी/अपूर्ण हो, से निपटने के लिए दिनांक 18.12.2014 को लोक सभा मे लोकपाल और लोकायुक्त एवं अन्य संबन्धित कानून (संशोधन) विधेयक, 2014 पेश किया गया | उक्त विधेयक कार्मिक, लोक शिकायत, विधि एवं न्याय विभागों से संबन्धित संसदीय स्थाई समिति को परीक्षण एवं रिपोर्ट हेतु दिया गया था | उक्त संसदीय स्थाई समिति ने 7 दिसम्बर, 2015 को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है जो कि वर्तमान मे विचारार्थ लंबित है ।

भवदीय,

अनिल बाजपेयी

(अनिल बाजपेयी)

अवर सचिव

दूरभाष: 23092468

प्रतिलिपि: 1. श्री अंबुज शर्मा, अवर सचिव प्रधानमंत्री कार्यालय, साउथ ब्लाक, नई दिल्ली-110001 को उनके आईडी संख्या पी एम ओ पी जी /डी/2016/024550 दिनांक 09.02.2016 के संदर्भ मे |

2. एन.आई.सी., कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली को इस विभाग की वेब साइट (लोकपाल लिंक) पर अपलोड करने हेतु |